

land from
of Jharkhand

Area in

Square
Metre

80.9389

80.9389

161.8778

141.645

40.469

1133.14

202.34

80.9389

890.32

80.9389

1092.5

202.34

80.9389

80.9389

607.1

526.1

445.1

592.1

40.4

485.1

97.1

32.1

40.4

80.9389

40.4

32.1

80.9389

40.4

0.024

0.024

0.016

0.032

0.077

0.040

0.097

0.057

0.040

0.081

0.065

0.008


0.016

0.069

0.052

0.036

0.049



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2596]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2015/अग्रहायण 13, 1937

No. 2596]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2015/AGRAHAYANA 13, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3277(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1329 (अ), तारीख 19 मई, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखण्ड राज्य के रांची जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 113.600 कि.मी. से 198.300 कि.मी. (रांची-रडगांव सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 14 अगस्त, 2015 को "जवामी न्यूज" और तारीख 13 अगस्त, 2015 को "दैनिक जागरण" में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त अर्जन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के रांची जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 33 के कि.मी. से 113.600 से कि.मी. 198.300 तक (रांची-रड़गांव सेक्शन) के लिए प्रजन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल		भू-स्वामी का नाम/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
							(हेक्टेयर में)	(वर्ग मीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	रांची	(1) तमाड़	(1) मरधान	20	नीजी	गै० खास	0.008	80.9389	अशोक सिंह वगैरह
				37	नीजी	दोन-III	0.008	80.9389	मो० लखी मुण्डारी वगैरह
				40	नीजी	गै० खास	0.016	161.8778	अशोक सिंह वगैरह
				42	नीजी	दोन-III	0.014	141.6431	बाबरी महतो वगैरह
				101	नीजी	दोन-III	0.004	40.4694	अशोक सिंह वगैरह
				102	नीजी	दोन-III	0.113	1133.1445	रूनी पुरान वगैरह
				103	नीजी	दोन-III	0.020	202.3472	बुधूवा उरांव वगैरह
				183	नीजी	दोन-II	0.008	80.9389	कैला घासी वगैरह, बेल्का घासी
				191	नीजी	दोन-III	0.089	890.3278	नवल महतो वगैरह
				192	नीजी	दोन-III	0.008	80.9389	डोमन साहु वगैरह
				194	नीजी	दोन-III	0.109	1092.6750	कार्तिक पुरान वगैरह
				196	नीजी	दोन-III	0.020	202.3472	घासी महतो वगैरह
				210	नीजी	दोन-III	0.008	80.9389	जटू मुण्डारी वगैरह
				211	नीजी	दोन-III	0.008	80.9389	जटु मुण्डारी
				214	नीजी	दोन-II	0.061	607.0417	ठाकुर लोकनाथ सिंह
				220	नीजी	दोन-I	0.053	526.1028	लोचन हजाम
				225	नीजी	दोन-I	0.045	445.1639	लोचन हजाम
						कुल	0.593	5928.7738	
			(2) तमाड़	1643	नीजी	परती कदीम	0.004	40.4694	रामधन मछुवा
				1646	नीजी	दोन-III	0.049	485.6333	बिपिन बिहारी मोदक
				1647	नीजी	दोन-III	0.097	971.2667	बिपिन बिहारी मोदक
				1648	नीजी	दोन-III	0.032	323.7556	बिपिन बिहारी मोदक
				1649	नीजी	दोन-III	0.004	40.4694	बिपिन बिहारी मोदक
				1656	नीजी	दोन-III	0.008	80.9389	बिपिन बिहारी मोदक
				1701	नीजी	दोन-III	0.040	404.6945	घासु सिंह वगैरह
				1702	नीजी	दोन-III	0.032	323.7556	घासु सिंह वगैरह